रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सत्यमेव जयते

सी.जी.-डी.एल.-सा.-22022023-243783
CG-DL-W-22022023-243783

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 6] नई दिल्ली, फरवरी 12—फरवरी 18, 2023, शनिवार/ माघ 23—माघ 29, 1944
No. 6] NEW DELHI, FEBRUARY 12—FEBRUARY 18, 2023, SATURDAY/ MAGHA 23—MAGHA 29, 1944

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रुप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

(भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय)

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2023

सा.का.नि. 13.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय (भाषा प्रभाग) एवं राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में जनगणना कार्य निदेशालयों में कनिष्ठ अनुवादक भर्ती नियम, 2011 का अधिक्रमण करते हुए, इस प्रकार के अधिक्रमण करने से पूर्व किए गए कार्य या किए जाने के लिए छोड़े गए कार्य के अतिरिक्त राष्ट्रपति एतद्वारा भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय (भाषा प्रभाग) एवं राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित जनगणना कार्य निदेशालयों में कनिष्ठ अनुवादक के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

	(b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruitment in Column (7).	

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be Consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'B' Departmental confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- 1. Registrar General, India -Chairman; 2. Additional Registrar General, India or Director or Deputy Secretary, Office of the Registrar General, India -Member; 3. Under Secretary, Office of the Registrar General, India -Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. A 51011/2/2021-Ad.V]

S. N. SHARMA, Dy. Secy.

राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था (नीति आयोग)

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2023

सा.का.नि. 14.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और योजना आयोग (मुख्य पुस्तकालयाध्यक्ष-एवं-प्रलेखीकरण अधिकारी) भर्ती नियम, 2003 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था (नीति आयोग) में निदेशक (पुस्तकालय) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ -- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नीति आयोग, निदेशक (पुस्तकालय), समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.- वह व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः